पत्रांक– BN/120/2026-SEC-03-UDHD DEPT /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) –2.0 के अधीन राज्य के 20 BLC परियोजना में योजना के कार्यान्वयन हेतु SNA SPARSH माध्यम से प्रथम किस्त की विमुक्त केन्द्रांश Other than SC & ST घटक में रू0 11325.00 लाख़, SC घटक में रू0 2202.00 लाख़ एवं ST घटक में रू0 145.20 लाख़ एवं केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश क्रमशः Other than SC & ST घटक में रू0 7550.00 लाख़, SC घटक में रू0 1468.00 लाख़ एवं ST घटक में रू0 96.80 लाख़ अर्थात कुल रू0 22787.00 लाख (दो सौ सत्ताईस करोड़ सत्तासी लाख रुपये मात्र) का वित्तीय वर्ष 2026–27 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय के संबंध में।**

आदेश– स्वीकृत।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–2.0'' का शुभारंभ दिनांक–01.09.2024 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30–45 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक–N-11011/54/2026-HFA-I-MoHUA FTS-9222160 दिनांक–26-09.2026 द्वारा राज्य के 20 BLC परियोजना में योजना के कार्यान्वयन हेतु SNA SPARSH माध्यम से प्रथम किस्त की विमुक्त केन्द्रांश Other than SC & ST घटक में रू0 11325.00 लाख़, SC घटक में रू0 2202.00 लाख़ एवं ST घटक में रू0 145.20 लाख़ एवं केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश क्रमशः Other than SC & ST घटक में रू0 7550.00 लाख़, SC घटक में रू0 1468.00 लाख़ एवं ST घटक में रू0 96.80 लाख़ अर्थात कुल रू0 22787.00 लाख (दो सौ सत्ताईस करोड़ सत्तासी लाख रुपये मात्र) का सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नगर निकायों को SNA SPARSH के माध्यम से Virtual Allotment/Limit राशि व्यय किया जायेगा। उक्त राषि का व्यय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– N-11011/54/2026-HFA-I-MoHUA FTS-9222160 दिनांक–26-09.2026 के आलोक में की जाएगी।

अतएव योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ–03 में अंकित नगर निकायों अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि क्रमशः स्तम्भ–4, 5, 6 में राशि क्रमशः SC, ST एवं Other than SC & ST घटक में अर्थात स्तम्भ–07 में अंकित कुल राशि को व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख रू0 में)

S.No.	District	ULBs Name	Central & State Share (SC)	Central & State Share (ST)	Central & State Share (Other than SC & ST)	Total Sanction amount
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
1	Gopalganj	Kataiya, Town Panchayat	14.00	4.00	131.00	149.00

S.No.	District	ULBs Name	Central & State Share (SC)	Central & State Share (ST)	Central & State Share (Other than SC & ST)	Total Sanction amount
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
2	Katihar	Amdabad, Town Panchayat	90.00	113.00	1825.00	2028.00
3	Katihar	Manihari, Town Panchayat	51.00	15.00	343.00	409.00
4	Kishanganj	Bahadurganj, Town Panchayat	10.00	0.00	93.00	103.00
5	Madhepura	Murliganj, Town Panchayat	26.00	16.00	476.00	518.00
6	Madhubani	Benipatti, Town Panchayat	610.00	9.00	1981.00	2600.00
7	Madhubani	Ghoghardiha, Town Panchayat	18.00	0.00	222.00	240.00
8	Muzaffarpur	Kanti, Municipality	39.00	0.00	165.00	204.00
9	Muzaffarpur	Motipur, Municipality	140.00	0.00	904.00	1044.00
10	Muzaffarpur	Sahebganj, Municipality	105.00	7.00	184.00	296.00
11	Purba Champaran	Areraj, Town Panchayat	67.00	2.00	438.00	507.00
12	Purba Champaran	Dhaka, Municipality	27.00	11.00	553.00	591.00
13	Purba Champaran	Kesaria, Town Panchayat	63.00	1.00	307.00	371.00
14	Purba Champaran	Pakri Dayal, Town Panchayat	103.00	2.00	374.00	479.00
15	Saharsa	Bangaon, Town Panchayat	346.00	15.00	2060.00	2421.00
16	Saharsa	Simri Bakhtiyarpur, Town Panchayat	604.00	10.00	3538.00	4152.00
17	Saharsa	Sonbarsa, Town Panchayat	332.00	20.00	1938.00	2290.00
18	Sheohar	Sheohar, Town Panchayat	783.00	4.00	2132.00	2919.00
19	Sitamarhi	Janakpur Road, Municipality	74.00	10.00	416.00	500.00
20	Vaishali	Lalganj, Municipality	168.00	3.00	795.00	966.00
Total			**3670.00**	**242.00**	**18875.00**	**22787.00**

3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F. No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक–13.07.2023 एवं Office Memorandum F. No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक–08.07.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। वित्त विभाग, बिहार के पत्र सं0– e.gov/ PFMS-05/ 2023- 398 दिनांक–13.01.2025 के द्वारा RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS) के तहत Drawing Account खोले जाने की सूचना दी गयी है। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बुडा, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No.	Account Number	Name of Account	Short Name of Account
1	01585501151	BR54-House For All (Urban) (1989)	HFA Project

4. (i) स्वीकृत राशि रू0 22787.00 लाख में से रू0 18875.00 लाख **(एक सौ अठासी करोड़ पचहत्तर लाख रुपये मात्र)** माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 – छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0203– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–48-2217030510203 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(ii) स्वीकृत राशि रू0 रू0 22787.00 लाख में से रू0 3670.00 लाख **(छत्तीस करोड़ सत्तर लाख रुपये मात्र)** माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे एवं माध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0205– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–48-2217037890205 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(iii) स्वीकृत राशि रू0 रू0 22787.00 लाख में से रू0 242.00 लाख **(दो करोड़ बयालीस लाख रुपये मात्र)** माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–796–अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0203– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–31.05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–48-2217037960203, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. केन्द्रांश/राज्यांश की राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा–निदेशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–469 दिनांक–14.01.2026 के आलोक में Just-In-Time पर आधारित SNA SPARSH प्रक्रिया के तहत् केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि की निकासी के मामले में डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0– 76 टि0 पर दिनांक– 16.10.2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0–85 टि0 पर दिनांक–18-10-2026को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक– BN/120/2026-SEC-03-UDHD DEPT 217 दिनांक– 22/10/26

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, बुडा/संबंधित नगर निकाय/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2(बजट) नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित नगर निकाय/अवर सचिव, MoHUA, GoI, HFA Division/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/26

सरकार के संयुक्त सचिव।